660279/2023/C & O - BGKT - NR

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः प.4(30)उद्योग/1/2022 जयपुर, दिनांकः 05 OCT 2023

प्रारम्भिक अधिसूचना

यतः राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि॰ (CONCOR) द्वारा मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास हेतु लोक प्रयोजन के लिए ग्राम सालावास रेलवे स्टेशन एवं सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण में कुल रकबा 19.8474 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन इकाई सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज (CDECS), जयपुर द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 में विहित प्रक्रिया अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार द्वारा गठित बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा उक्त रिपोर्ट का मूल्यांकन कर अनुशंषा प्रस्तुत की गयी है।

परियोजना हेतु किये गये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का सारांश निम्नानुसार है:- (SIA रिपोर्ट CONCOR की वेबसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध है।)

"भूमि अर्जन स्वरूप कुल 55 परिवारों का प्रभावित होना तथा शून्य परिवारों का विस्थापित होना सम्भावित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण को इनके क्षेत्राधिकार में प्रशासक नियुक्त किया जाता है।"

अतः उपर्युक्त परियोजना के लिये उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण को भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त करते हुए ग्राम सालावास रेलवे स्टेशन एवं सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रावधानान्तर्गत कुल 19.8474 हैक्टेयर भूमि अधिसूचित की जाती है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खाता सं०	सर्वेक्षण खसरा सं०	खसरे का कुल क्षे० (in Hectare)	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षे० (in Hectare)	अभिलेखों के अनुसार अभिलिखित भू-स्वामी का नाम	टिप्पणी
क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खाता सं०	सर्वेक्षण खसरा सं०	खसरे का कुल क्षे० (in Hectare)	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षे० (in Hectare)	अभिलेखों के अनुसार अभिलिखित भू-स्वामी का नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	151	332	1.6026	0.2562	आबादी अचलदास आदि	
2.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	156	333	2.2743	0.0481	सुरेश पुत्र बी० पारसमल आदि	
3.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	156	334	2.4848	0.2805	सुरेश पुत्र बी० पारसमल आदि	
4.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	122	337/4	0.3237		नेनी पत्नी गोपाराम	
5.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	92	337	0.4856		डाईबाई पत्नी नारायण आदि	
6.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	274	337/3	1.6187	1.0468	हीरा देवी पत्नी शंकरलाल आदि	
7.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	155	337/1	0.7770		बीजाराम पुत्र भाखरराम	
8.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	155	337/2	1.4569		बीजाराम पुत्र भाखरराम	
9.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	291	338	3.0999	0.4115	सम्पतराज व दिनेश पुत्रगण मूलाराम	
10.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	332	350	0.2023	0.0306	रास्ता ग्राम पंचायत सालावास स्थानीय निकाय	
11.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	130	351/3	1.1817		कुलदीप सांखला पुत्र प्रकाश	
12.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	158	351	0.4371		बुद्धाराम पुत्र कलाराम	
13.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	115	351/6	0.2428		धीरज सांखला पुत्र ढलाराम	
14.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	172	351/5	0.3642	2.1377	भरत सांखला पुत्र ढलाराम	
15.	लूणी	सालावास	127	351/4	0.2428		पारस सांखला पुत्र ढलाराम	

		रेलवे स्टेशन						
16.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	97	351/2	0.3318		ढलाराम पुत्र लिछमणराम	
17.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	292	351/1	0.4371		तारा पुत्री रूगनाथराम आदि	
18.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	62	349	0.8094		गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश	
19.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	300	349/2	0.8094		सीता देवी पत्नी जयप्रकाश	
20.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	62	349/3	0.8094	1.0440	गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश	
21.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	252	349/4	0.8013		लादूराम अग्रवाल पुत्र रामकिशोर अग्रवाल	
22.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	168	349/5	0.8094		भगवती देवी पत्नी लादूराम	
23.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	64	348	2.5981	0.0046	कुनाराम आदि	
24.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	148	345/2	1.2141	0.0132	फुसी देवी	
25.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	292	361/2	0.7122		तारा पुत्री रूगनाथराम आदि	
26.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	259	361/5	0.5726		लुम्बाराम पुत्र कलाराम	
27.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	177	361/1	1.1250	1.9603	भीखाराम पुत्र रामूराम	
28.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	150	361/3	0.5726		बाबूलाल पुत्र कलाराम	
29.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	206	361/4	0.5564		मीठालाल पुत्र कलाराम	
30.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	206	361/6	0.0162		मीठालाल पुत्र कलाराम	
31.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	288	362/3	0.0243	0.1973	(रास्ता) संतोष पत्नी ओमप्रकाश	
32.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	288	362/2	1.3678		संतोष पत्नी ओमप्रकाश	
33.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	26	353	1.9506	0.3670	छैलाराम पुत्र जुगाराम आदि	

34.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	26	360	2.7276	2.4799	छैलाराम पुत्र जुगाराम आदि	
35.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	97	359	1.0846	1.6389	डलाराम पुत्र लिछमणराम	
36.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	130	359/1	1.0840		कुलदीप सांखला पुत्र प्रकाश आदि	
37.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	60	357	1.0765	0.5397	श्यामलाल पुत्र दुर्गाराम आदि	
38.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	26	360/1	0.0243	0.0243	(रास्ता) छैलाराम पुत्र जुगाराम आदि	
39.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	246	366/4	0.8931	5.0762	रेखा पत्नी जेठाराम	
40.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	79	366/3	0.8523		जगदीश पुत्र गिरधारीलाल	
41.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	146	366/5	2.5900		प्रेमलता पत्नी रणजीत कुमार	
42.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	1	366/6	0.0405		रास्ता ग्राम पंचायत सालावास	
43.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	306	366	0.8931		सुमन पत्नी रमेश	
44.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	147	366/2	5.2285		फुली पत्नी मोहनराम आदि	
45.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	94	355/1	0.8094	0.1967	डुंगर सिंह पुत्र सूरजमल	
46.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	285	367	1.0522	1.0974	जानी पत्नी भीयाराम आदि	
47.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	77	367/2	0.6232		चिमू देवी पत्नी घमण्डाराम आदि	
48.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	180	368	2.8004	0.8201	भूण्डाराम पुत्र नैनाराम	
49.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	81	369	1.7240		श्यामलाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ लिछमणराम आदि	
50.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	80	369/1	0.4532		सोहनलाल पुत्र मांगीलाल आदि	

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

51.	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	81	369/2	0.0243	0.1293	(रास्ता) श्यामलाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ लिछमणराम आदि	
52.	लूणी	सालावास	1407	421	22.6138	0.0471	JODHPUR VIKAS PRADHIKARAN	
					कुल योग	19.8474		

राजकीय खसरों के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

भूमि योजना का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् अधिसूचित भूमि के क्रय/विक्रय संबंधी कार्य अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन होंगें।

अधिनियम की धारा-11(5) के अधीन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण द्वारा यथाविहित भूमि अभिलेखों को 02 माह की अवधि के भीतर अद्यतन किया जायेगा।

अधिनियम की धारा-12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों और श्रमिकों को प्रवेश करने एवं उसका सर्वेक्षण करने तथा तलमापन करने, अवमृदा के भीतर खोदने या भेदन करने तथा वह समस्त कार्य जो धारा-12 में वर्णित है, को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को भूमि अर्जन से संबंधित कोई आपत्ति है तो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 02 माह में अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त शासन सचिव

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को वास्ते असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।
3. उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जोधपुर ग्रामीण को प्रेषित कर लेख है कि –
   i. अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के प्रावधानों की पालना करवाते हुए अधिसूचना का प्रभावित क्षेत्रों में प्रचलित दो स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों (राज्य स्तरीय) में प्रकाशन (जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से) कराया जावे।
   ii. संबंधित पंचायत, नगर पालिका, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसील कार्यालय में स्थानीय भाषा में अधिसूचना उपलब्ध करवायी जावे।
   iii. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट सुविधाजनक स्थानों पर इस अधिसूचना को जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पानगी की जाये तथा जिला कलक्टर की सरकारी वेबसाइट तथा संबंधित विभागों की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
   iv. प्रकाशित समाचार पत्रों एवं स्थानीय चस्पानगी की प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जावे।
4. तहसीलदार, लूणी, जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान।
5. ग्राम पंचायत सालावास/सालावास रेलवे स्टेशन, जिला जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान।
6. प्रबन्ध निदेशक, कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (कॉनकोर), पंजीकृत कार्यालय–कॉनकोर भवन, सी–3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली–110076।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (कॉनकोर), इनलेण्ड कन्टेनर डिपो, कनकपुरा, जयपुर, राजस्थान–302034।
8. श्री भूपेन्द्र सिंह यादव, असिस्टेंट ऑफिसर/टेक्नीकल, कॉनकोर, आईसीडी, कनकपुरा, जयपुर
9. प्रोग्रामर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव